दिल्ली में लोहा व्यापारियों के परिसरों पर छापे मारा जाना

4640. **श्री छोटे सिंह यादव :**
श्री दौलत राम सारण :
श्री जी. वाई. कृष्णन् :
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्रों के उन लोहा व्यापारियों का ब्यौरा क्या है जिनके परिसरों पर एक विशेष अभियान जुलाई के प्रथम सप्ताह में छापे मारे गये ;

(ख) उपर्युक्त छापों में कितना काला धन बरामद हुआ ;

(ग) कितने व्यक्तियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए तथा इस संबंध में कितनी गिरफ्तारियां हुई ;

(घ) क्या पकड़े गए काले धन का कम मूल्यांकन किया गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एम. कृष्णा) : (क) आयकर विभाग ने मई/जून 1984 में दिल्ली के निम्नलिखित लोह-व्यापारियों की तलाशियां लीं :—

1. मैसर्स सी.बी. गुप्ता एण्ड कम्पनी
2. मैसर्स एम्पायर सेफ कम्पनी
3. मैसर्स आर. आर. स्टील ट्रेडर्स
4. मैसर्स राजा आयरन फैक्टरी
5. मैसर्स दुर्गा टिम्बर वर्क्स
6. मैसर्स जसवन्त सिंह भाटिया एण्ड सन्स
7. मैसर्स रायस सेफ कम्पनी
8. मैसर्स किंग सेफ कम्पनी
9. मैसर्स लायड सेफ कम्पनी
10. मैसर्स करम चन्द राम प्रकाश अग्रवाल
11. मैसर्स भगत राम चुन्नी लाल मरवाह
12. मैसर्स मिलाप आयरन सिन्डिकेट्स
13. मैसर्स लक्ष्मी इन्जीनियरिंग वर्क्स
14. मैसर्स एम. आर. काटेज इन्डस्ट्री
15. मैसर्स पंजाब आयरन स्टोर्स
16. मैसर्स यूनिवर्सल स्टील कम्पनी

कुछ मामलों में तलाशी की कार्यवाहियां जुलाई, 84 के तीसरे सप्ताह तक जारी रहीं।

(ख) तलाशी के परिणामतः लगभग 94·89 लाख रुपये मूल्य की दृष्टया लेखा बाह्य नकदी जवाहरात, स्टाक आदि पकड़े गये। आयात की गई कुछ चद्दरों को प्राप्त किये जाने के स्रोत का पता लगाने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 132 के अन्तर्गत रोक लिया गया है।

(ग) तलाशी के दौरान गिरफ्तार कर सकने के लिये आयकर अधिनियम के अंतर्गत कोई उपलब्ध नहीं है। पकड़े गये कागजातों की छानबीन के बाद उपयुक्त मामलों में अभियोजन के मामले दायर किये जाते हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।